

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4193
13.12.2019 को उत्तर के लिए
वनस्पति और जीव-जन्तुओं पर बड़ी आपदा

4193. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) : क्या सरकार ने गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश, विशेषकर कर्नाटक के मंड्या जिले सहित जिला-वार बाढ़ और अन्य जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण जीव और वनस्पति की हानि की ओर ध्यान दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) : उक्त प्रभावित क्षेत्रों में नए वृक्षारोपण और वन विकास/संरक्षण सहित हानि की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) : सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) : मंत्रालय द्वारा देश में बाढ़ और जलवायु संबंधी अन्य आपदाओं के कारण वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को होने वाले नुकसान के संबंध में विशिष्ट अध्ययन नहीं कराए गए हैं, किंतु वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का सर्वेक्षण कराया गया है और उनके संबंध में कुछ आंकड़े तैयार किए गए हैं। इस जानकारी का उपयोग भविष्य में ऐसी किन्हीं घटनाओं में होने वाले नुकसान का आकलन करने हेतु केंद्र और राज्य में संबंधित नोडल एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा कर्नाटक, जिसमें राज्य के सभी जिले शामिल हैं, में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं का सर्वेक्षण किया गया है और उनसे संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। कृष्णराजसागर बांध, मंड्या जिला, कर्नाटक के स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं को भी प्रलेखित किया गया है।

वनों में वन और वन्यजीवों को हुए नुकसानों की क्षतिपूर्ति करने हेतु आवश्यक उपायों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकरणों द्वारा कार्यकारी योजना/प्रबंधन योजनाओं के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्यजीवों के प्रबंधन, संरक्षण और परिरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय द्वारा अवक्रमित वन क्षेत्र की पारिस्थितिकीय बहाली हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्रों नामतः राज्य स्तर पर राज्य वन विभाग एजेंसी (एसएफडीए), वन प्रमण्डल के स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। विगत पांच वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2018-19 के दौरान कर्नाटक राज्य को 43.94 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) का उद्देश्य वन और वनेतर क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के वनावरण को संरक्षित करना, उसकी बहाली करना और उसमें वृद्धि करना है। जीआईएम के तहत, मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सहित बारह राज्यों को वनीकरण कार्यक्रम आरंभ करने हेतु आज की तारीख तक 30300.03 लाख रूपए की धनराशि जारी की गई है।

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) के तहत भी योजनाएं आरंभ की गई हैं जिनका उद्देश्य उन क्षेत्रों और प्रजातियों को अभिज्ञात करना है जो जलवायु संबंधी समस्याओं के कारण संकटापन्न हैं।

देश में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं और वनस्पतियों (जैव-विविधता) को संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्को, सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों और प्राचीन उपवनों जैसे पारंपरिक संरक्षण रिज़र्वों के माध्यम से भी संरक्षित किया जाता है। देश में जैव-विविधता के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, जैव-विविधता अधिनियम, 2002 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 भी विद्यमान हैं।
